भारत सरकार **लोकसभा**

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय **अतारांकित प्रश्न सं. 2690**

वाणिज्य विभाग

दिनांक 04 अगस्त, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पद

2690. श्री धर्मेन्द्र यादव:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय तथा उसके अधीनस्थ कार्यालयों, संगठनों एवं स्वायत्त निकायों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित स्वीकृत पदों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) उक्त पदों में से वर्तमान में कुल कितने पद रिक्त हैं;

(ग) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए बैकलॉग रिक्तियों की संख्या क्या है; और

(घ) उक्त रिक्तियों तथा बैकलॉग पदों को भरने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है ?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जितिन प्रसाद)

(क) से (घ): वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में दो विभाग नामत: वाणिज्य विभाग (डीओसी) और उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) शामिल हैं, जिनमें अखिल भारतीय सेवा, केंद्रीय सचिवालय सेवा, भारतीय आर्थिक सेवा, भारतीय सांख्यिकी सेवा, केंद्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा, भारतीय व्यापार सेवा अन्य संगठित सेवाओं से संबंधित अधिकारी कार्यरत हैं। अनुसूचित जातियों (एससी), अनुसूचित जनजातियों (एसटी) और अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी) को आरक्षण देने के संबंध में भारत सरकार के दिशा-निर्देशों का पालन संबंधित संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारियों द्वारा किया जाता है। तथापि, जिन पदों को विभाग/अधीनस्थ

कार्यालयों/स्वायत्त निकायों द्वारा स्वयं भरा जाता है, उनमें उचित आरक्षण रोस्टर बनाए रखकर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणियों के लिए आरक्षण सुनिश्चित किया जाता है। इस संबंध में, दोनों विभागों द्वारा अपने-अपने संगठनो जिनमें अधीनस्थ कार्यालय, संगठन और स्वायत्त निकाय शामिल है, में आरक्षण के उचित कार्यान्वयन की निगरानी के लिए संपर्क अधिकारी नियुक्त किए हैं।

बैकलॉग आरक्षित रिक्तियों के साथ-साथ रिक्तियों का उत्पन्न होना और उन्हें भरना एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जब तक रिक्त पद भरे जाते हैं, तब तक सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र, मृत्यु, पदोन्नति आदि के कारण नई रिक्तियां उत्पन्न हो जाती हैं। इन रिक्तियों को विभिन्न भर्ती एजेंसियों जैसे संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी), कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) और विभाग/संगठनों द्वारा भारत सरकार के आरक्षण मानदंडों/दिशानिर्देशों के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणियों को आरक्षण प्रदान करते हुए भरा जाता है।
